

खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार, पटना

संख्या-.....1121...../एम0, पटना, दिनांक-27.2.18

सेवा में,

M/s-Westlink Trading Pvt.
Ltd., Mo.-Kailashpuri,
Post-Banda, P.S.-Banda,
Dist.-Banda, U.P

Misc. Case No.— 19/2018

खनन पदाधिकारी, गया

अर्जीदार

बनाम

मेसर्स वेस्टलिंग ट्रेडिंग प्रा0लि0

प्रतिपक्ष।

महाशय,

निदेशानुसार इस वाद में दिनांक 26.02.2018 के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि 07.03.2018 को 5.00 बजे अपराहन निर्धारित है।

अतः निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

न्यायालय खान आयुक्त के आदेश से,

1

सरकार के अवर सचिव

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with Date
1	2	3	4
	<p>26.02.2018</p>	<p style="text-align: center;">Miscellaneous Case No – 19/2018 Dist. - Gaya</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p style="text-align: center;">Mining Officer, Gaya</p> <p style="text-align: center;">Vs.</p> <p style="text-align: center;">M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>- Perused the report of the Mining Officer, Gaya</p> <p>- Issue notice to the Settlee.</p> <p>- Put up on 07.03.2018.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- (K.K. Pathak) Mines Commissioner</p> <p>Memo No.-...<u>1120</u>.../M, Patna, Dated-...<u>27.2.18</u>...</p> <p>Copy to :-Collector, Gaya/Assistant Director, Gaya/ M/s-Westlink Trading Pvt. Ltd.,Mo.-Kailashpuri, Post-Banda, P.S.-Banda, Dist.-Banda, U.P /I.T. Manager, Mines & Geology Dept. Patna for information and necessary action.</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: center;">Under Secretary to Govt.</p>	

जिला खनन कार्यालय, गया

पत्रांक 202- / खनन, गया, दिनांक 23/01/18

प्रेषक,

सहायक निदेशक
खान एवं भूतत्व
गया।

सेवा में

खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- गया जिलान्तर्गत पंचांग वर्ष (2015-19) के लिए वेस्टलिंग प्रा० लि० के पक्ष में बंदोबस्त बालूघाटों के संचालन में वरती गई अनियमितताओं के संबंध में प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत पंचांग वर्ष 2015-19 के लिए वेस्टलिंग प्रा० लि० के पक्ष में बंदोबस्त बालूघाटों के संचालन में गुरुआ थानान्तर्गत मौजा-आमिरगंज में स्थित स्वीकृत आमिरगंज बालूघाट (रकवा 6.0 हेक्टेयर) का स्थल निरीक्षण की जांच करायी गई है, जिसमें निम्नांकित अनियमिता पायी गई है:-

1. बालूघाट क्षेत्र में सभी सीमास्तम्भ स्थापित एवं संधारित नहीं पाया गया है।
2. बालूघाट क्षेत्र के पास धर्मकांटा स्थापित एवं संचालित नहीं हैं।
3. बालूघाट के आस-पास पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
4. बालू निष्कासन/प्रेषण स्थल पर साईन बोर्ड लगा हुआ पाया गया परंतु स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ नहीं पाया गया।

उक्त बालूघाटों के निरीक्षण के दौरान नई बालू नीति 2013, SEIAA बिहार के पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 21(A) का उल्लंघन कर खनन कार्य किया गया है, जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की करायी गई है (छाया प्रति संलग्न)।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/01/18
सहायक निदेशक
खान एवं भूतत्व
गया

जिला खनन कार्यालय, गया

पत्रांक 354/02 / खनन, गया, दिनांक 22.01.2018

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
गुरुआ, गया।

विषय:-

गुरुआ थाना अंतर्गत मौजा-आमिरगंज बालूघाट (रकवा 6.0 हेक्टेयर) में बालू बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरण शर्तों का उल्लंघन के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गुरुआ थानान्तर्गत मौजा-आमिरगंज में स्थित स्वीकृत बालूघाट (रकवा 6.0 हेक्टेयर) का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में बालूघाट बंदोबस्ती के निम्नलिखित पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन पाया गया कि:-

1. बालूघाट क्षेत्र में सीमास्तम्भ पाया गया परंतु नियमानुसार संधारित नहीं पाया गया।
2. बालूघाट क्षेत्र के पास धर्मकांटा स्थापित एवं संचालित नहीं है।
3. बालूघाट के आप-पास पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
4. बालू निष्कासन/प्रेषण स्थल पर साईन बोर्ड लगा हुआ पाया गया परंतु स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ नहीं पाया गया।

उक्त बालूघाटों के निरीक्षण के दौरान नई बालू नीति 2013, SEIAA बिहार के पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 21(A) का उल्लंघन कर खनन कार्य किया गया है।

अतः बंदोबस्तधारी कंपनी वेस्टलिक ट्रेडिंग प्रा०लि० के कंपनी के निदेशक श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता श्री देवेन्द्र मोहन सिंह, शिवम अपार्टमेंट, प्रथम तल, आनंदपुरी, पटना के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

गवाह:- श्रीकांत सिंह, आशुट्टक
पिता-चंद्रेश्वर सिंह,
ग्राम-तीरा, थाना-हरनौत,
जिला-नालंदा

विश्वासभाजन
22/01/2018
खान निरीक्षक,
गया।

धनंजय कुमार
पिता-सत्यनारायण प्रसाद,
ग्रा+पो०-चौरी, था०-दाउदनगर,
औरंगाबाद।
9155702195